छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक– 13/रेरा/2020/734 रायपुर, दिनाँक 13/07/2020

//आदेश//

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–6 सहपठित छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम–7 अनुसार प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का विस्तार किये जाने हेतु आवेदन रजिस्ट्रेशन की समाप्ति से पूर्व, तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। परन्तु प्रोजेक्ट पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों के अवलोकन से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय मामलों में प्रमोटर्स द्वारा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के विस्तार हेतु आवेदन प्रोजेक्ट पंजीयन समाप्त होने पश्चात् तथा अत्याधिक विलंब से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः पंजीकृत प्रोजेक्ट्स की पूर्णता दिनाँक की समयावृद्धि हेतु विलंब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार विलंब शुल्क पृथक से देय होगा :–

स.क्र.	समयावधि	विलंब शुल्क
1.	पंजीयन पूर्णता दिनाँक से 03 माह पूर्व आवेदन की स्थिति में	कोई शुल्क नहीं
2.	पंजीयन पूर्णता दिनाँक से 03 माह के भीतर आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क का 10 प्रतिशत
3.	पंजीयन पूर्णता दिनाँक के पश्चात् 03 माह तक आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क का 25 प्रतिशत
4.	पंजीयन पूर्णता दिनाँक के पश्चात् 03 से 06 माह तक की समयावधि में आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क का 50 प्रतिशत
5.	पंजीयन पूर्णता दिनाँक के पश्चात् 06 से 12 माह तक की समयावधि में आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क का 75 प्रतिशत
6.	पंजीयन पूर्णता दिनाँक से एक वर्ष या उससे अधिक समयावधि पश्चात् आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क के बराबर

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
सचिव
13/7/2020
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.